भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2233** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

भारतीय ध्वज वाले पोतों पर आयु आधारित प्रतिबंध

†2233. श्री टी. एम. सेल्वागणपति :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 700 से अधिक भारतीय ध्वज वाले पोतों, जो ज्यादातर तटीय और तटवर्ती मार्गों पर संचालित होते है, की सरकार द्वारा लगाए जा रहे आयु-आधारित प्रतिबंधों के कारण समय से पहले सेवा में न लिए जाने की आशंका है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे 20,000 नाविक बेरोजगार हो जाएँगे और एक लाख से अधिक लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महासंघ के अनुसार, जहाज की आयु पर पूर्ण प्रतिबंध और असंगत आरपीएसएल दंड न केवल परिचालन संबंधी बाधाएँ हैं, बल्कि ये भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अस्तित्वगत खतरा भी हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि 1.3 लाख से अधिक वाणिज्यिक जहाजों और 3.7 लाख निरीक्षणों के एक व्यापक वैश्विक डेटासेट में पाया गया है कि पुराने जहाज, विशेष रूप से वे जो पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान समझदारीपूर्वक संचालित हुए हैं, अक्सर नए जहाजों की तुलना में बेहतर सुरक्षा रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): सरकार, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण अनुपालन को बढ़ाने और समुद्री विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से इन विनियमों की निरंतर समीक्षा करती है। नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने 2023 का आदेश संख्या 6 जारी किया था, जिसमें भारतीय ध्वज में पंजीकरण के लिए मियाद-आधारित कट-ऑफ मानदंड लागू किए गए थे, जैसे गैस कैरियरों, रासायनिक टैंकरों आदि के लिए

25 वर्ष, तेल टैंकरों, बल्क कैरियरों आदि के लिए 20 वर्ष। इस नीति में बेकार घोषित करने (स्क्रैपिंग) को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन पंजीकरण प्रतिबंधों के माध्यम से मियाद को लंबे रखने और अपेक्षाकृत कम कुशल जलयानों का उपयोग न करने के लिए कहा गया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। उक्त आदेश में गुणवत्ता के निर्दिष्ट मापदंडों के अनुपालन के आधार पर पंजीकृत भारतीय ध्वज वाले जलयानों का प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है।

इस नियामक उपाय का उद्देश्य, बेड़े के आधुनिकीकरण, समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के अनुरूप अधिक पुराने, कम कुशल, और पर्यावरणीय रूप से हानिकारक जलयानों को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे हटाना है। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरण नीतियों की दृष्टि से भारतीय बेड़े के टिकाऊ बने रहने के लिए इसकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना है, और इसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा नहीं माना जा सकता है।

*****